कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

कमांक............./स्था /अराज/स्वशासी/एमसी/2019 रीवा, दिनांक.......................

भर्ती सूचना

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ कार्यकम में फेकल्टी सपोर्ट योजना के अन्तर्गत मानसिक रोग विभाग हेतु सृजित सह चिकित्सकीय एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग के पदों पर भर्ती हेतु एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

आवेदन की अंतिम तिथि – **10.10.2019**

स.क.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या			
		अना.	अजजा.	अजा.	अ.पि.व.
1.	क्लीनिकल सायकोलॉजिस्ट	01	—	—	—
2.	टेक्नीकल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट	01	—	—	—
3.	सायकेट्रिक सोशल वर्कर	01	—	—	01
4.	सहायक ग्रेड–3.	—	—	—	01

उक्त पदों की पूर्ति हेतु अर्हताओं का विवरण निम्नानुसार है।

स.क.	पद का नाम	शैक्षणिक अर्हताएं	वेतन बैंड+ग्रेडपे
1	2	3	4
1.	क्लीनिकल सायकोलॉजिस्ट	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नात्कोत्तर उपाधि एवं मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में 01 वर्ष का अनुभव	9300–34800+3200
2.	टेक्नीकल इलेक्ट्रोफिजियो लॉजिस्ट	1. बायोलॉजी,केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से Diploma in Clinical Nerophysiology Technology (DCNT or EQUIVALENT)/EEG टेक्नीशियन का 02 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स। OR Experience in recording EEG related techniques from any recognized center with basic knowledge in computer application.	5200–20200+2800
3.	सायकेट्रिक सोशल वर्कर	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।	5200–20200+2800
4.	सहायक ग्रेड–3	1. अभ्यर्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि /प्रमाण पत्र हो। 3. मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र (सी.पी.सी.टी) परीक्षा हिन्दी टंकण के साथ उत्तीर्ण	5200–20200+1900

उक्त पदों हेतु एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 10.10.2019 तक प्राप्त आवेदन ही मान्य होंगे।

1. यह नियुक्ति मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018/गैर शैक्षणिक सेवा आदर्श नियम 2018 के अधीन होगी।
2. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में 'फेकल्टी सपोर्ट योजना' के अन्तर्गत उक्त पदों का वित्तीय भार 04 वर्ष पश्चात् राज्य शासन वहन करेगा।
3. अतिरिक्त एवं वांछनीय योग्यताधारी अभ्यर्थियों को मेरिट निर्धारण में अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेंगे।
4. नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के साथ-साथ आवेदन पत्र का प्रारुप श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट www.ssmcrewa.com में उपलब्ध रहेगी।
5. पदों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है।
6. पदों पर आरक्षण राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार रहेगा, आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा, साथ ही आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (E.W.S) को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म0प्र0)

1. <u>निरर्हतायें–</u>

1.1 <u>विकृत चित्त वाला होने पर।</u>
1.2 दुश्चरित्र होने पर।
1.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
1.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
1.5 <u>विवाह संबंधी –</u> जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
1.6 दिनांक 26.01.2001 के पश्चात् जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या 02 से अधिक हो गयी हो वह चयन के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात् आगामी प्रसव में 02 या 02 से अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिये अनर्ह नहीं होगा।
1.7 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
1.8 <u>कदाचरण संबंधी –</u> किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
1.9 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

<u>अन्य शर्तें :–</u>

1. आवेदक की आयु दिनांक 10.10.2019 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये।
   म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक सी 3–8/2016/1/3 दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी :–
   - सामान्य वर्ग के लिए – 40 वर्ष
   - अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक /निःशक्तजन /महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिये – 45 वर्ष
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।
3. म0प्र0 का मूल निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी ।
4. **आवेदन शुल्कः**– सामान्य वर्ग के लिये रुपये 700/–, तथा आरक्षित वर्ग (अ.ज.जा, अ.जा. अ. पि.वर्ग) के लिये रुपये 350/– निर्धारित शुल्क एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से जमा की जावेगी।
5. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (E.W.S) को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी ।

<u>निरंतरः–02</u>

8. यदि कोई आवेदक किसी शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्था में पूर्व से कार्यरत है तो उसे आवेदन के समय ही नियोक्ता का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं अन्य अभ्यर्थियों को राज्य शासन के परिपत्र कमांक (एक) 143/86/(4) दो, दिनांक 29.06.1987 के अनुसार सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र जमा करने की तारीख से 90 दिन पूर्व किसी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक होगा।
9. नियुक्ति उपरांत 01 वर्ष तक अन्यत्र सेवा हेतु आवेदन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देना संभव नहीं होगा।
10. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वैरीफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वैरीफिकेशन/चरित्र सत्यापन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवाएं समाप्त की जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।
11. अभ्यर्थी की नियुक्ति इस संस्था के सेवाशर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
12. स्कूटनी परिणाम एवं चयन प्रकिया से संबंधित जानकारी संस्था की वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी। अद्यतन जानकारी के लिये वेबसाईट का निरंतर अवलोकन करें।
13. भर्ती नियमों के अनुसार आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।

<u>महत्वपूर्ण टीप</u> :-

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी के वे अपने पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताएं और शर्तों को पूरा करें। अतः आवेदन करने से पहले आवेदक अपनी अर्हताओं की जानकारी स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्त पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। आवेदक की जानकारी गलत पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी तथा उसकी दावेदारी समाप्त मानी जाएगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की विभागीय/अन्य जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो कि आवेदन के प्रारुप में दिया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म0प्र0)